FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

मदाराम बनाम चैनसिंह कौर

किस्म मुकदमा 111,128 RLR Act नं. 16/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/01/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री धमण्डाराम साहब ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/02/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) ब...	367 27/01/2021
17/02/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील रिपोर्ट। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/03/2021 को पेश हो।	
22/03/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 से 18 व 21 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया। विप्रार्थी संख्या-19 व 20 के नोटिस तामील मय तामील रिपोर्ट। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 07/06/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested

07/06/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 03/08/2021 को पेश हो।

03/08/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा हाकर दिनांक 03/12/2021 को पेश हो।

03/12/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षी संख्या - 19 व 20 की ओर से वकील श्री शिवाराम शियाग द्वारा वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया / शेष विपक्षीगण अनुपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 24/12/2021 को पेश हो।

24/12/21

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत शामलात आये हुए हैं खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ें व कोने माने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत की सीमाओं को लेकर [illegible] के मध्य हमेशा तनाजा [illegible] खेत की सीमाओं का [illegible] करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का [illegible] आवेदन स्वीकार किया जाकर नियमानुसार आदेश किये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नैयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरी नैयमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1550 दिनांकः– 24/12/2021

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. मदाराम पुत्र भगवानाराम
जाति जाट, निवासी दर्जियो की बेरी
पटवार मण्डल लापुन्दड़ा
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. चेनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह वगैरा 21
जाति जाट, निवासी दर्जियों की बेरी
पटवार मण्डल लापुन्दड़ा
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 16 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – दर्जियों की बेरी, पटवार मण्डल – लुपन्दड़ा, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 625 / 361, 629 / 398 रकबा क्रमशः 35.18, 20.04 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1551 – 1555 दिनांकः– 24/12/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का लापुन्दड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मदाराम पुत्र भगवानाराम ।
4. विप्रार्थी श्री चेनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह वगैरा 21
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु